

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी
शिमला शहरी जिला शिमला हि0प्र0

सं0 आईसीडीएस-एसएमएल(यू)1-13/2007-नियु0

दिनांक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है समेकित बाल विकास परियोजना शिमला शहरी के अर्न्तगत निम्न विवरणानुसार आंगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के पद रिक्त है :-

क्र0 सं0	वार्ड का नाम/ संख्या	केन्द्र का नाम	पद का नाम	आंगनवाडी केन्द्र के फीडर एरिया का नाम
1	टुटीकण्डी / 8	बाग	कार्यकर्ता	आंगनवाडी केन्द्र बाग, टुटीकण्डी व आर0टी0ओ0 का फीडर एरिया
2	खलीनी / 24	खलीनी	कार्यकर्ता	आंगनवाडी केन्द्र खलीनी, खलीनी-1, खलीनी-2 व भगवतीनगर का फीडर एरिया
3	जाखू / 14	कास्टाफन	कार्यकर्ता	आंगनवाडी केन्द्र कास्टाफन, जाखू का फीडर एरिया
4	कसुम्पटी / 21	पन्थाघाटी-2	कार्यकर्ता	केवल आंगनवाडी केन्द्र पन्थाघाटी-2 का फीडर एरिया
5	छोटा शिमला / 22	विकासनगर-2	कार्यकर्ता	केवल आंगनवाडी केन्द्र विकासनगर -2 का फीडर एरिया
6	भराडी / 1	आंकलैंड	कार्यकर्ता	केवल आंगनवाडी केन्द्र आंकलैंड का फीडर एरिया
7	कनलोग / 25	बैम्लोई	कार्यकर्ता	केवल आंगनवाडी केन्द्र बैम्लोई का फीडर एरिया
8	रूल्दूभट्टा / 2	सांगरी हाउस	कार्यकर्ता	केवल आंगनवाडी केन्द्र सांगरी हाउस का फीडर एरिया
9	जाखू / 14	कास्टाफन	सहायिका	आंगनवाडी केन्द्र कास्टाफन, जाखू का फीडर एरिया
10	चमयाणा / 19	(भट्टाकुपर-2)गाहन	सहायिका	आंगनवाडी केन्द्र (भट्टाकुपर-2)गाहन, भट्टाकुपर-1, लोअर सिमिट्टि व अपपर सिमिट्टि का फीडर एरिया
11	छोटा शिमला / 22	साधनाघाटी	सहायिका	आंगनवाडी केन्द्र साधनाघाटी, स्ट्रॉबैरी, विकासनगर-1, विकासनगर-2, शावग व देवनगर का फीडर एरिया

आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिका को सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदेय देय होगा । इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार उक्त पदों हेतु संलग्न प्रपत्र पर समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी के कार्यालय में दिनांक 8 जून 2016 तक आवेदन कर सकते हैं परन्तु वाक-इन- इन्टरव्यू होने के कारण उक्त तिथि के बाद तथा साक्षात्कार के दिन प्राप्त आवेदन पत्र भी स्वीकार किये जायेंगे । साक्षात्कार दिनांक 22 जून 2016 को प्रातः 11.00 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी के कार्यालय में आयोजित किये जायेंगे ।

इन पदों हेतु निम्न योग्यताएँ अनिवार्य हैं:-

1. उक्त पद हेतु केवल वही महिला उम्मीदवार ही पात्र है जो सम्बन्धित आंगनवाडी केन्द्र के लाभान्वित क्षेत्र में 1 जनवरी 2016 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से सम्बन्ध रखती हो ।
2. उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
3. उम्मीदवार की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता के लिए दस जमा दों व सहायिका के लिए आठवी पास होनी चाहिए परन्तु यदि सहायिका के लिये कोई भी 8वी पास पात्र महिला आवेदन नहीं करती है तो पांचवी पास महिला के मामले में भी विचार किया जायेगा यदि वह अन्य शर्तें पूरी करती हो ।

4. उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 35000/- रू० से अधिक नहीं होनी चाहिये जिसका प्रमाणपत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी/प्रति हस्ताक्षरित किया होना चाहिये

उच्च शैक्षणिक योग्यता, अपंग, विधवा,स्टेटहोम/बालिका आश्रम के इनमेटस, अनाथ, असहाय एवं परित्यक्ता, जिनके पति पिछले सात वर्ष से अनट्रेसेबल हो, एस०सी०, एस०टी०, ओबीसी० तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता/ सहायिका/ बालसेविका / बालवाडी टीचर /नर्सरी टीचर/उसी वार्ड में कार्य कर रही सिलाई अध्यापिका/शिशु पालक तथा उन परिवारों की लडकियों को जिनमें दोनों ही लडकियां हैं तथा कोई बालक नहीं हो को निर्धारित दिशा निदेशों के अनुसार अंक दिये जायेंगे जिसके लिये प्रार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्र तथा अन्य समस्त दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र भी सत्यापित छाया प्रतियों सहित साक्षात्कार के समय या इससे पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे तथा साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे । अंको का विभाजन निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	कार्यकर्ता	अंक	सहायिका	अंक
1	दस जमा दो की प्रतिशतता के अनुसार अधिकतम अंक-7	7	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक	9
2	आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/ बालसेविका/बालवाडी टीचर/नर्सरी टीचर /उसी वार्ड में काम कर रही सिलाई अध्यापिका/ शिशुपालक को 10 माह के कार्य हेतु एक अंक। प्रतिवर्ष हेतु एक अंक। अधिकतम अंक 3	3	आंगनवाडी सहायिका/बालसेविका/ बालवाडी टीचर/ नर्सरी टीचर के रूप में कार्य करने पर एक वर्ष हेतु एक अंक दो या इससे अधिक वर्ष कार्य करने पर अधिकतम दो अंक । शिशु पालक के रूप में कार्य अनुभव हेतु 10 माह हेतु एक अंक ।	2
3	दिव्यांग 40 प्रतिशत या इससे अधिक हेतु इस शर्त के साथ कि दिव्यांगता इस प्रकार की न हो कि कार्य करने में बाधा बने।	2	दिव्यांग 40 प्रतिशत या इससे अधिक हेतु	2
4	एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०	2	एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०	2
5	स्टेट होम इनमेटस/बालिका आश्रम इनमेट/अनाथ/विधवा/विवाहित महिलाये जिनके पति सात साल से लापताहो/डेस्टीच्यूट/ परित्यक्तता/ तलाकशुदा	3	स्टेट होम बालिका आश्रम इनमेटस/अनाथ/विधवा/डेस्टीच्यूट/ तलाकशुदा	2
6	स्नातक हेतु अतिरिक्त 2 अंक तथा स्नातकोत्तर तथा इससे अधिक हेतु -अतिरिक्त 1 अंक	3	उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त अंक	3
7	उन परिवारो से सम्बन्ध रखने वाली लडकियों को जिनमे अधिकतम दो लडकियां हैं तथा बालक नहीं है	2	उन परिवारो से सम्बन्ध रखने वाली लडकियों को जिनमे अधिकतम दो लडकियां हैं तथा बालक नहीं है	2
8	साक्षात्कार के अधिकतम अंक	3	साक्षात्कार के अधिकतम अंक	3
	कुल अंक	25	कुल अंक	25

अनिवार्य प्रमाणपत्र

1. स्थाई निवासी का प्रमाणपत्र। उक्त प्रमाणपत्र सम्बन्धित पंचायत सचिव/तहसीलदार से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये ।
2. आयु प्रमाणपत्र ।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र ।
4. आय प्रमाणपत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार या इनसे अधिक स्तर के अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये ।

5. परिवार रजिस्टर की नकल ।

अन्य प्रमाणपत्र यदि कोई हो तो

(अनुभव, दिव्यंगता, निराश्रित, अनाथ, विधवा, परित्यक्तता, अनु० जाति/जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग इत्यादि ,दो लडकियो वाले परिवार से सम्बन्ध रखने सम्बन्धी प्रमाणपत्र।

जानकारी के लिये नजदीक के आंगनवाडी केन्द्र अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी के कार्यालय से सम्पर्क करे ।

आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिका की नियुक्ति बारे निर्देश व आवेदन प्रपत्र बेवसाइट www.wcd.hp.nic.in एवं www.hpshimla.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी
शिमला शहरी जिला शिमला

पृष्ठाकन संख्या: आईसीडीएस-एसएमएल(यू)1-13/2007-नियु० दिनांक:-
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज कर अनुरोध है कि इस बारे वार्ड स्तर पर व्यापक प्रचार व प्रसार करने की कृपा करें :-

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास हि० प्र० शिमला ।
2. उपायुक्त शिमला को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर चस्पान हेतु ।
3. मेयर/ डिप्टी मेयर नगर निगम शिमला को समरूप कार्यवाही हेतु।
4. निदेशक, आकाशवाणी शिमला को व्यापक प्रचार हेतु प्रेषित है।
5. उपमण्डलाधिकारी (न०) शहरी ,शिमला व अध्यक्ष साक्षात्कार समिति को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर चस्पान हेतु।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी शिमला को नगर निगम शिमला के क्षेत्रा में व्यापक प्रचार हेतु।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी शिमला को सूचनार्थ ।
8. कार्यकारी अधिकारी ,नगर निगम शिमला को सूचनार्थ एवं नगर निगम क्षेत्रा में व्यापक प्रचार हेतु है।
9. पार्षद, नगर निगम शिमला को नगर निगम शिमला के सम्बन्धित वार्डों में प्रचार हेतु प्रेषित है।
10. समस्त पर्यवेक्षिका,बाल विकास परियोजना शिमला(शहरी), जिला शिमला हि.प्र. को आवश्यक कार्यवाही /व्यापक प्रचार हेतु प्रेषित है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
शिमला शहरी, जिला शिमला हि.प्र।

बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी
जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

आंगनवाडी सहायिका के पद हेतु आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

1.	आवेदनकर्ता का नाम	
2.	आवेदनकर्ता का पता	
3.	जन्म तिथि (आठवीं या दसवीं) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
4.	आठवीं (या पांचवीं) अंक व प्रतिशतता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
6.	कार्य क्षेत्रा आंगनवाडी सहायिका/बालसेविका/बालवाडी टीचर/ नर्सरी टीचर/ शिशु पालक के रूप में अनुभव (प्रमाण पत्रा संलग्न करें)	
7.	वर्षिक आय (35000/-) आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
8.	क्या आंगनवाडी केंद्र के Feeder Area (जहां सम्पूर्ण वार्ड के लिए विज्ञापित किया गया है वहां सम्बन्धित वार्ड के किसी आंगनवाडी केन्द्र में 01-01-2016 या पहले से नाम दर्ज है।)	परिवार संख्या
9.	क्या स्टेट होम इनमेंट/ बालिका आश्रम इनमेंट /अनाथ/ विधवा /डेस्टीचुट /तलाकशुदा। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	
10.	दिव्यांग 40 प्रतिशत या इससे अधिक (प्रमाण पत्र संलग्न करें।) इस शर्त के साथ कि दिव्यांगता इस प्रकार की न हो कि कार्य करने में बाध्य बने।	
11.	जाति एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	
12.	उन परिवारो से सम्बन्ध रखने वाली लडकियां जिनमे अधितम दो लडकियां है तथा बालक नंही है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर व पूरा पता मोबाईल न0

बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी
जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

पासपोर्ट साइज फोटो

आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदन का कर्ता	
2.	आवेदनकर्ता का पता	
3.	जन्म तिथि दसवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
4.	10+2 में अंक व प्रतिशतता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
6.	कार्य क्षेत्रा आंगनवाडी सहायिका / बालसेविका / बालवाडी टीचर / नर्सरी टीचर / शिशु पालक के रूप में अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
7.	वार्षिक आय (35000/-) रुपये (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	
8.	क्या आंगनवाडी केंद्र के Feeder Area ;जहां सम्पूर्ण वार्ड के लिए विज्ञापित किया गया है वहां सम्बन्धित वार्ड के किसी आंगनवाडी केन्द्र में 01-01-2016 या पहले से नाम दर्ज है।)	परिवार संख्या
9.	क्या स्टेट होम इनमेंट / बालिका आश्रम इनमेंट / अनाथ / विधवा / विवाहित महिला जिसका पति सात साल से लापता हो / डेस्टीचुट / तलाकशुदा। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	
10.	दिव्यांग 40 प्रतिशत या इससे अधिक (प्रमाण पत्र संलग्न करें।) इस शर्त के साथ कि दिव्यांगता इस प्रकार की न हो कि कार्य करने में बाध्य बने।	
11.	जाति एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	
12.	उन परिवारो से सम्बन्ध रखने वाली लडकियो को जिनमे अधितम दो लडकियां है तथा बालक नही है (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर व पूरा पता मोबाईल न0

